<u>कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)</u>

Phone No. 07723-222939, Email – dlsa.mahasamund1@gmail.com

// विज्ञापन //

क्रमांक–**02/2024** महासमुन्द, **दिनांक 07/12/2024**

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि – 30/12/2024 संध्या 5.00 बजे तक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ0ग0) के अन्तर्गत रिक्त कार्यालय सहायक/क्लर्क, एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के निम्नांकित पदों पर संविदात्मक भर्ती किये जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. <u>रिक्त (संविदा) पदों का विवरण :–</u>

क0	**पदों का विवरण**	**पदों की संख्या**
01	कार्यालय सहायक/क्लर्क	02
02	कार्यालय भृत्य/मुंशी	02

<u>टीप :–</u>

1) *परीक्षा तिथि एवं अन्य कोई परिवर्तन करने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द के पास सुरक्षित रहेगा।*

2द्ध *संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्त किये गये स्टाफ की उपस्थिति, कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।*

3) *छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तो के लिए निर्धारित परिपत्र/नियम/शर्तो के प्रवधानों के अधीन शासित होंगे।*

2. <u>भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–</u>

<u>कार्यालय सहायक/क्लर्क पद के लिए</u>

(अ) **वेतनमान क्लास –सी :–** एकमुश्त मासिक वेतन 15,000/–

(ब) **शैक्षणिक योग्यता** :–

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। (Educational qualification : Graduation)

(ii) बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कम्प्युटर संचालित करने की दक्षता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिये। (Basis word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data.)

(iii) पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाईपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है। (Good typing speed with proper setting of petition.)

(iv) श्रुतलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाईलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। (Ability to take dictation and prepare files for presentation in the Courts.)

(v) फाईल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। (File maintenance and processing knowledge.)

कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) पद के लिए

(अ) **वेतनमान क्लास –सी :–** एकमुश्त मासिक वेतन 9,000/–

(ब) **शैक्षणिक योग्यता** :–

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण हो।

3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :–

पात्रता की अन्य शर्तें :–

(अ) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(ब) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(स) कोई पुरूष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(द) आवेदक, किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

(इ) ऐसे उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहॉ तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

आयु सीमा :–

(1) उम्मीदवार दिनांक 01/01/2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष तक की छूट की अवधि बढ़ाया गया है, जो कि 31 दिसम्बर 2025 तक के लिए प्रदान की गई है। परन्तु अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के उम्मीदवार/आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अन्य विशेष वर्ग जैसे–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में छूटः– निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगीः–

3 (एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3 (एक)(2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3 (एक)(3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3 (एक)(4)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :– *छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।*

3 (एक)(5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 (एक)(6)– महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3 (एक)(7)– शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3 (एक)(8)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3 (एक)(9)— स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3(एक)(10)— संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

<u>नोट</u> :— ***अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।***

3(एक)(11)— शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 (दो)(1)— आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियो के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

<u>नोट</u> :— ***आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।***

3 (दो)(2)— विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ठ खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

<u>टीप</u> :—(1) बिन्दु क्रमांक 3(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

<u>उदाहरण</u> :— *यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ—साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।*

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

<u>महत्वपूर्ण</u>:—1— यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा

कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जाएगी।

2— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित है। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी है, जिनके द्वारा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी, उन्हें विज्ञापित पद के विरूद्ध अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किया जावेगा, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं।

4 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1— आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 30/12/2024 की संध्या 5.00 बजे तक** बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से **आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा हो**, कार्यालय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ0ग0), पिन कोड नं.—493445 के पते में **रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट** के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 30/12/2024 की संध्या 5:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

2— आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की **स्वप्रमाणित** (SELF ATTESTED) **प्रतियां** संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3— **कोरियर, ई—मेल, फैक्स** के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

4— विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन **जिला न्यायालय महासमुन्द के वेबसाईड https://mahasamund.dcourts.gov.in** में किया जा सकता है, तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

5— कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिये आवेदन करना चाहते हो तो **प्रत्येक पद के लिए पृथक—पृथक आवेदन पत्र पृथक—पृथक लिफाफा** में प्रस्तुत करना होगा। एक ही आवेदन फार्म में दो पदों के लिए किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जावेगा। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

6— आवेदक, आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित **पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो** चस्पा करेगा।

7— आवेदक, आवेदन पत्र का सम्पूर्ण इन्द्राज **नीले बॉल पेन/डॉट पेन** से ही करेगा। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।

8— डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

9– विज्ञापन में **निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार** किये जायेगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

10– **त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर** आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

5 नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

(प) नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–

1– **कार्यालय सहायक/क्लर्क, के चयन हेतु** रिक्त पदों की संख्या के **तीस गुना** से ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ0ग0) के द्वारा आयोजित की जा सकेगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों पर **दस गुना** तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जायेंगे। लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने पर कौशल के लिए चयनित उम्मीदवार की संख्या दस गुना से कम या अधिक हो सकती है। लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की छंटनी के लिए होगी। कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की चयन सूची के साथ प्रतिक्षा सूची तैयार की जावेगी।

2– चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिक्ता प्रदान की जावेगी। समान अंक, समान जन्मतिथि एवं समान शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) में समान अंक होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर) के अंकों के आधार पर वरीयता तय की जावेगी जिस अभ्यर्थी के अधिक अंक होगें, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

(ii) नियुक्ति हेतु चयन विधि :–

प्रथम भाग – लिखित परीक्षा

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द द्वारा **कार्यालय सहायक/क्लर्क** के पद हेतु एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, **जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे**, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1–1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प सही होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर ज्ञान एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की समयावधि केवल एक घंटे की होगी। **एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को एक ही बार लिखित परीक्षा देना होगा।**

<u>द्वितीय भाग – कौशल परीक्षा</u>

लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों के दस गुना उम्मीद्वारों को **कार्यालय सहायक/क्लर्क** के पद के संबंध में हिन्दी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा, लेकिन विज्ञापित पद के लिए प्राप्त आवेदन या लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या कम होने पर या लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने पर कौशल के लिए चयनित उम्मीदवार की संख्या दस गुना से कम या अधिक हो सकती है। दो या अधिक उम्मीद्वारों द्वारा समान अंक अर्जित करने की दशा में उन सभी को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। **जो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे उसे चयन के लिये अनर्ह माना जावेगा।**

(अ) <u>कार्यालय सहायक/क्लर्क पद हेतुः– कौशल परीक्षा –100 अंक</u>

उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रृत लेख (dictation) दिया जावेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर टाईप करना है। हेडिंग, बोल्ड, अन्डरलाईन, पैराग्राफ सेटिंग, जस्टीफाई, सेन्टर तथा टाईप की प्रत्येक 1 अशुद्धि पर 1/5 अंक काटा जावेगा।

<u>नोट</u> :– कम्प्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अंतर्गत लिबरे ऑफिस/ओपन ऑफिस में लिया जावेगा।

<u>यह स्पष्ट किया जाता है कि</u> :– कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीद्वारों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। परंतु ऐसे उम्मीद्वारों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीद्वार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

(स) <u>कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के पद हेतु</u> :– साक्षात्कार–25 अंक

1– अभ्यर्थियों की संख्या चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा 5 वीं के उच्च प्राप्तांक के आधार पर रिक्त पदों के 25 गुना आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जायेंगे। 5 वीं में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने पर साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवार की संख्या 25 गुना से कम या अधिक हो सकती है। साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार किया जाएगा। उक्त पद पर चयनित उम्मीदवार की चयन सूची के साथ प्रतिक्षा सूची तैयार की जावेगी।

2— **अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा को सीमित करने के प्रयोजन से भर्ती चयन समिति द्वारा पृथक से निर्णय लिया जा सकेगा, जो मान्य होगा।** जिसकी सूचना जिला न्यायालय महासमुन्द के वेबसाईट **https://mahasamund.dcourts.gov.in** पर पृथक से अपलोड की जावेगी।

3— चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिक्ता प्रदान की जावेगी। समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि :— साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा, भले ही उसके प्राप्तांक दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी से अधिक क्यों न हो। साक्षात्कार में अर्जित प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीद्वारों की चयन सूची तैयार की जाएगी, तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। परंतु ऐसे उम्मीद्वारों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीद्वार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

6 अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। **पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।**

7 अन्य आवश्यक सूचनाएं

1— चयन विधि एवं प्रक्रिया निर्धारित करने तथा नियुक्ति निर्धारित करने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ0ग0) को होगा।

2— उपरोक्त पदों पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

3— आवेदकों को प्रवेश पत्र अपलोड किये जाने की सूचना एवं लिखित/कौशल परीक्षा, साक्षात्कार की तिथि, समय एवं परीक्षा स्थल की सूचना जिला न्यायालय के वेबसाईट **https://mahasamund.dcourts.gov.in** एवं सूचना—पटल के माध्यम से दी जावेगी।

4— जिला न्यायालय महासमुन्द के वेबसाईड **https://mahasamund.dcourts.gov.in** में से **पात्र आवेदक अपना प्रवेश पत्र** डाउनलोड कर आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपना अर्हता से संबंधित मूल दस्तावेजों सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर लिखित/कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे।

किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से लिखित/कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा, इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

5– लिखित/कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना होगा। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

सही/–
अध्यक्ष भर्ती समिति एवं
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु

अभ्यर्थी स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करें।

प्रति,

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
महासमुन्द (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....

   (अंग्रेजी के ब्लाक लेटर्स में) ....

3. लिंग– पुरूष, संकेतांक–1, महिला संकेतांक–2 [ ]

4. पिता/पति का नाम ....

5. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....
   (हिन्दी में) ....
   ....

   मोबाईल नम्बर

   ब) स्थायी पता ....
   ....
   ....

   मोबाईल नम्बर

6. अ) जन्म तिथि – अंको में [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

   शब्दों में ....

   ब) दिनांक 1/1/2024 को आयुः– वर्ष [ ] [ ] [ ]

7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नहीं
   (यदि हां, तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें।) [ ]

8. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं **(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)** [ ]

9. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]

10. क्या आवेदक निःशक्त है? हां/नहीं
(यदि हां, तो निःशक्तता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

11. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

13. रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक

14. रोजगार कार्यालय का नाम ....

15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

17. क्या आप निर्धारित आयुसीमा में छूट चाहते है? हॉ/नहीं

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः–

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. .... 8. ....

घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैने अपनी शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही–सही पूर्ण विवरण दिया है। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक ....
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता एवं मोबाईल नम्बर
....
....